सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 918 राँची, शुक्रवार, 8 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 नवम्बर, 2019

संख्या- 5/आरोप-1-200/2017 का०- 8836-- श्री इश्तियाक अहमद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-769/03, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गिरिडीह के विरूद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-986/विधि, दिनांक 11.10.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

1. वर्ष 2015 में उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-739/अभि०, दिनांक 02.04.2015 द्वारा लोकायुक्त झारखण्ड, राँची के आदेशानुसार गिरिडीह जिला के देवरी प्रखण्ड के अन्तर्गत पुनिया देवी, पति-स्व० बुंदलाल राय के नाम से आवंटित इंदिरा आवास योजना संख्या-70/2009-10 में फर्जी तरीके से राशि निकासी से संबंधित आरोप की जाँच का कार्य आवंटित था, परन्तु मो० इश्तियाक अहमद, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने पत्रांक-459/जि०प० द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर फर्जी तरीके से निकासी से संबंधित आरोप को निराधार बताते हुए उक्त आरोप में निलंबित पंचायत सेवक मो० बेलाल को निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी। उक्त अनुशंसा एवं कृत कार्रवाई से लोकायुक्त झारखण्ड को अवगत कराया गया। लेकिन लोकायुक्त ने जाँच प्रतिवेदन को खारीज करते हुए उक्त के संबंध में पुनः जाँच कर कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गई। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त, गिरिडीह के निदेशानुसार उप विकास आयुक्त के पत्रांक-2548/अभि०, दिनांक 22.09.2017 द्वारा श्री पंकज कुमार, प्रभारी निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह एवं श्री रविशंकर विद्यार्थी, अनुमंडल पदाधिकारी को पुनः उक्त आरोप के संदर्भ में जाँच करने का आदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-8819/अभि० दिनांक 05.10.2017 द्वारा जाँच

प्रतिवेदन समर्पित कर यह अनुशंसा किया गया कि पूर्व जाँच पदाधिकारी (तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो० इश्तियाक अहमद) ने जाँच में उदासीनता बरती है। अगर पूर्व में ही उक्त इंदिरा आवास योजना का वास्तविक लाभुक पुनिया देवी से मिलकर सच्चाई जानने का प्रयास किया गया होता कि पुनिया देवी, सावित्री देवी तथा पुरनी देवी कौन है तो वास्तविकता उसी समय सामने आ जाती और माननीय लोकायुक्त द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं सुननी पड़ती।

अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा योजना अभिलेख का अवलोकन किया गया था और उसके अनुसार चेक पुनिया देवी के नाम से निर्गत हुआ था, परन्तु अन्तिम भुगतान में प्राप्तकर्त्ता के अंगूठे का निशान पुरनी देवी का है एवं अन्तिम भुगतान करने का आवेदन भी पुरनी देवी के द्वारा दिया गया है, जो स्पष्ट है कि उनके द्वारा अभिलेखों का अवलोकन सम्भवतः नहीं किया गया है। संयुक्त जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कर्त्तव्य में लापरवाही दर्शायी, जो सरकारी आचार नियमावली में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

2. श्री मो० इश्तियाक अहमद के उक्त कृत्य से रू० 32500/- के सरकारी योजना का लाभ वास्तविक लाभुक को न मिलकर किसी अन्य को मिला।

3. श्री मो० इश्तियाक अहमद द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) (i) एवं (ii)के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों हेतु श्री अहमद से विभागीय पत्रांक-459, दिनांक 16.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। इसके अनुपालन में श्री अहमद के पत्रांक-922/वि०, दिनांक 02.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इनके स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5443, दिनांक 20.07.2018 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-762/विधि, दिनांक 29.08.2018 द्वारा श्री अहमद के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री अहमद के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गिरिडीह के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-2760(HRMS), दिनांक 20.11.2018 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री अहमद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-16, दिनांक 25.01.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है-

(क) आरोपी पदाधिकारी के पत्रांक-459/जि०प०, दिनांक 14.05.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर गिरिडीह जिला के देवरी प्रखण्ड अन्तर्गत पुनिया देवी, पति-स्व० बुंदलाल राय के नाम से आवंटित इंदिरा आवास योजना सं०-70/2009-10 में फर्जी तरीके से राशि निकासी संबंधी आरोप को निराधार बताते हुए उक्त आरोप में निलंबित पंचायत सेवक मो0 बेलाल को निलम्बन से मुक्त करने की अनुशंसा संबंधी आरोप आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है।

(ख) आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना के वास्तविक लाभुक पुनिया देवी से मिलकर सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करने संबंधी आरोप आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है।

(ग) संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री अहमद, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा कर्त्तव्य में लापरवाही संबंधी आरोप सही प्रतीत होता है।

(घ) श्री अहमद द्वारा सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप कुछ हद तक सही प्रतीत होता है।

समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय संकल्प सं0-1760(HRMS), दिनांक 15.04.2019 द्वारा श्री अहमद के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत ''निन्दन'' का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री अहमद के पत्र, दिनांक 15.07.2019 द्वारा अपील आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) वित्तीय लेन देन और A/c Payee चेक के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया जबकि पुनिया देवी के नाम से खाता खुला और चेक भी A/c Payee निर्गत है। विदित है कि A/c Payee चेक को कोई भी प्राप्त करे, जिसके नाम से है उसी के खाता में जमा हो सकता है। इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया।

(ii) भुगतान के अनुरूप इंदिरा आवास का निर्माण किया गया पाया गया। अतएव किसी के द्वारा राशि गबन किए जाने की संभावना नहीं बनती है। इंदिरा आवास उसी परिवार का बना और निवास करते पाया गया। इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया।

श्री अहमद द्वारा समर्पित अपील आवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(क) पुनिया देवी, पति स्व० बुंदलाल राय के नाम से आवंटित इंदिरा आवास योजना में A/c Payee चेक के माध्यम से चेक निर्गत किया गया एवं संबंधित चेक चिकनाडीह पैक्स के खाता सं०-240 में जमा किया गया, किन्तु श्री अहमद द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती पुनिया देवी, पति स्व० बूंदलाल राय के नाम से आवंटित इंदिरा आवास योजना सं०-70/2009-10 में पुनिया देवी के द्वारा ही राशि की निकासी प्रतिवेदित की गई है जबकि संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त योजना में इंदिरा आवास का पैसा सावित्री देवी उर्फ पुरनी देवी द्वारा निकासी की गई है।

(ख) संयुक्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वास्तविक लाभुक पुनिया देवी को उनके नाम से आवंटित इंदिरा आवास योजना की कोई जानकारी नहीं थी और न ही उनके द्वारा निर्मित इंदिरा आवास का उपयोग ही किया जा रहा है। अतः आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध जाँच कार्य में लापरवाही सत्य प्रतीत होती है।

अतः, समीक्षोपरांत, श्री अहमद द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत अधिरोपित ''निन्दन'' के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 918 -- 50